



(57)

माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र.
निग 3711-80216 म.क्रं. 16 निगरानी

1- श्यामलाल पिता मुरलीधर जी वर्मा
उम्र-25 वर्ष, धंधा-खेती
निवासी-ग्राम नगरी, तहसील-दलोदा
जिला- मंदसौर म.प्र.

2- श्रीमती कमलाबाई पति मुरलीधर जी वर्मा
उम्र-45 वर्ष लगभग, धंधा-खेती
निवासी-ग्राम नगरी, तहसील-दलोदा
जिला- मंदसौर म.प्र.

--- प्रार्थीगण

विरुद्ध

लक्ष्मीबाई पति बद्रीलाल जी टेलर
आयु-40 वर्ष लगभग, धंधा-कुछ नहीं
निवासी-ग्राम बरखेडी, तहसील-जावरा
जिला- रतलाम म.प्र.

--- विपक्षी

निगरानी प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.स.
विरुद्ध आदेश दिनांक-4.8.16 पारित द्वारा
न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील दलोदा जिला-
मंदसौर के म.क्रं.-49-अ/6/15-16 लक्ष्मीबाई विरुद्ध
श्यामलाल वगैरह

मान्यवर महोदय,

प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थनापत्र निम्नवत् प्रस्तुत है :-

-: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

यह कि, प्रकरण में विपक्षीया द्वारा ग्राम नगरी तहसील दलोदा
स्थित कृषि भूमि नं.-1123/1118/2 पर मृतक मुरलीधर पिता मूलचंद जी वर्मा
के स्थान पर किसी वसीयत के आधार पर अपने नाम का नामांतरण कराने
हेतु दिनांक 20.11.15 को एक आवेदन-पत्र तहसील न्यायालय तहसील दलोदा
में प्रस्तुत किया, इसी प्रकार मृतक मुरलीधर के वैध वारिस श्यामलाल पिता
श्रीमती कमलाबाई ने भी मृतक के

R. M.
श्री गोपालजी पंवार
आप्रीसाजक द्वारा
5/11/16
11/10/2016
25

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 3711/PBR/16

जिला - मन्

स्थान एवं दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

31.7.19

आवेदक की ओर से यह निगरानी...
के प्रकरण क्रमांक 49/अ-6/15-16 में पारित
आदेश दिनांक 4.8.16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-
राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के
फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित
संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु
को भेजा जाता है। उभयपक्ष
प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को
के समक्ष उपस्थित हों।

(महेश चन्द्र चौधरी)
सदस्य